

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937

No. 775]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/AGRAHAYANA 20, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 957(अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली में कोर्ट मास्टर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन.— ऐसे व्यक्ति जो ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली में नियमित आधार पर कोर्ट मास्टर का पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के प्रारंभ पर यदि ऐसे व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे पद का चयन करते हैं, इन नियमों के अधीन उसी रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा। इन नियमों के प्रारंभ से पहले कोर्ट मास्टर के पद में उनके द्वारा की गई नियमित सेवा को परिवीक्षा की अवधि, पुष्टि और अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं.— वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हो और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, निशक्तजनों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोर्ट मास्टर	*01 एक (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा; समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	पीबी - 1; 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा की जाने वाली भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति: ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के ऐसे	रजिस्ट्रार/सचिव - अध्यक्ष,	लागू नहीं होता।

		प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।	अवर श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति या आमेलन: (i) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों या अधिकरणों में सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ii) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आशुलिपि का ज्ञान है अधिमान दिया जाएगा। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	रजिस्ट्रार (डीआरटी) - सदस्य और अनुभाग अधिकारी - सदस्य	
--	--	-----------------------------------	--	---	--

[फा. सं. 5/3/2015/डीआरटी]

बी. वी. एस. खड्गयत, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2015

G.S.R. 957(E).— In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Court Master in Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi (Court Master) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.— The persons holding the post of Court Master in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, on regular basis shall be on the commencement of these rules, deemed to have been appointed as such under these rules, if such persons opt for such posts within thirty days of commencement of these rules. The regular service rendered by them in the post of Court Master before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of probation period, confirmation and promotion to next higher grade.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications.— No person —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, persons with disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Court Master	* 01 One (2015) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service; Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	PB-1; Rs. 5200-20200 plus grade pay 2400/-	Not applicable	Not Applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two Years	By promotion failing which by deputation or absorption.	Promotion: From amongst Lower Division Clerks of Debts Recovery Appellate Tribunal with eight years regular service. Deputation or Absorption: (i) persons holding analogous posts in Central Government or State Government or in High Courts or Tribunals; (ii) Lower Division Clerks with eight years regular service in the scale of Rs. 5200-20200/- plus grade pay 1900/- or equivalent. (iii) persons having knowledge of stenography will be preferred. Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.	Registrar/Secretary - Chairman, Registrar (DRT) - Member, and Section Officer - Member	Not Applicable.

[F. No. 5/3/2015-DRT]

V. V. S. KHARAYAT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 958(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई में कोर्ट मास्टर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन.- ऐसे व्यक्ति जो ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई में नियमित आधार पर कोर्ट मास्टर का पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के प्रारंभ पर यदि ऐसे व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे पद का चयन करते हैं, इन नियमों के अधीन उसी रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा। इन नियमों के प्रारंभ से पहले कोर्ट मास्टर के पद में उनके द्वारा की गई नियमित सेवा को परिवीक्षा की अवधि, पुष्टि और अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.- पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं.- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हो और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, निशक्तजनों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोर्ट मास्टर	*01 एक (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा; समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	पीबी - 1; 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा की जाने वाली भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।	प्रोन्नति: ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति या आमेलन: (i) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों या अधिकरणों में सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ii) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आशुलिपि का ज्ञान है अधिमान दिया जाएगा। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	रजिस्ट्रार/सचिव – अध्यक्ष, रजिस्ट्रार (डीआरटी) – सदस्य और अनुभाग अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 5/3/2015/डीआरटी]

बी. वी. एस. खड़ायत, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2015

G.S.R. 958(E).— In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Court Master in Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai (Court Master) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.- The persons holding the post of Court Master in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, on regular basis shall be on the commencement of these rules, deemed to have been appointed as such under these rules, if such persons opt for such posts within thirty days of commencement of these rules. The regular service rendered by them in the post of Court Master before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of probation period, confirmation and promotion to next higher grade.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.-** No person –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, persons with disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts.	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Court Master	* 01 One (2015) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service; Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	PB-I; Rs. 5200-20200 plus grade pay 2400/-	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two Years	By promotion failing which by deputation or absorption.	Promotion: From amongst Lower Division Clerks of Debts Recovery Appellate Tribunal with eight years regular service. Deputation or Absorption: (iii) persons holding analogous posts in Central Government or State Government or in High Courts or Tribunals; (iv) Lower Division Clerks with eight years regular service in the scale of Rs. 5200-20200/- plus grade pay 1900/-or equivalent. (iii) persons having knowledge of stenography will be preferred. Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt applications.	Registrar/Secretary - Chairman, Registrar (DRT) - Member, and Section Officer - Member,	Not Applicable.

[F. No. 5/3/2015-DRT]

V. V. S. KHARAYAT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 959(अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता में कोर्ट मास्टर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन.— ऐसे व्यक्ति जो ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता में नियमित आधार पर कोर्ट मास्टर का पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के प्रारंभ पर यदि ऐसे व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे पद का चयन करते हैं, इन नियमों के अधीन उसी रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा। इन नियमों के प्रारंभ से पहले कोर्ट मास्टर के पद में उनके द्वारा की गई नियमित सेवा को परिवीक्षा की अवधि, पुष्टि और अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं.— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हो और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, निशक्तजनों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोर्ट मास्टर	*01 एक (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा; समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पीबी - 1; 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक बर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा की जाने वाली भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।	प्रोन्नति: ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति या आमेलन: (i) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों या अधिकरणों में सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ii) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आशुलिपि का ज्ञान है अधिमान दिया जाएगा। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	रजिस्ट्रार/सचिव - अध्यक्ष, रजिस्ट्रार (डीआरटी) - सदस्य और अनुभाग अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 5/3/2015/डीआरटी]

वी. वी. एस. खड़ायत, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2015

G.S.R. 959(E).— In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Court Master in Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Court Master) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.- The persons holding the post of Court Master in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, on regular basis shall be on the commencement of these rules, deemed to have been appointed as such under these rules, if such persons opt for such posts within thirty days of commencement of these rules. The regular service rendered by them in the post of Court Master before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of probation period, confirmation and promotion to next higher grade.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters related thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, persons with disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Court Master	* 01 One (2015) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service; Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	PB-1; Rs. 5200-20200 plus grade pay 2400/-	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two Years	By promotion failing which by deputation or absorption.	Promotion: From amongst Lower Division Clerks of Debts Recovery Appellate Tribunal with eight years regular service. Deputation or Absorption: (i) persons holding analogous posts in Central Government or State Government or in High Courts or Tribunals; (ii) Lower Division Clerks with eight years regular service in the scale of Rs. 5200-20200/- plus grade pay 1900/-or equivalent. (iii) persons having knowledge of stenography will be preferred. Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt applications.	Registrar/ Secretary - Chairman, Registrar (DRT) - Member, and Section Officer - Member	Not Applicable

[F. No. 5/3/2015-DRT]

V. V. S. KHARAYAT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 960(अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद में कोर्ट मास्टर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. आरंभिक गठन.— ऐसे व्यक्ति जो ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद में नियमित आधार पर कोर्ट मास्टर का पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के प्रारंभ पर यदि ऐसे व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे पद का चयन करते हैं, इन नियमों के अधीन उसी रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा। इन नियमों के प्रारंभ से पहले कोर्ट मास्टर के पद में उनके द्वारा की गई नियमित सेवा को परिवीक्षा की अवधि, पुष्टि और अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं.— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है: उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हो और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, निशक्तजनों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोर्ट मास्टर	*01 एक (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा; समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	पीबी – 1; 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक बर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा की जाने वाली भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।	प्रोन्नति: ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति या आमेलन: (i) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों या अधिकरणों में सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ii) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आशुलिपि का ज्ञान है अधिमान दिया जाएगा। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	रजिस्ट्रार/सचिव - अध्यक्ष, रजिस्ट्रार (डीआरटी) - सदस्य और अनुभाग अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 5/3/2015/डीआरटी]

बी. वी. एस. खड़ायत, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2015

G.S.R. 960(E).— In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Court Master in Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad (Court Master) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.—The persons holding the post of Court Master in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, on regular basis shall be on the commencement of these rules, deemed to have been appointed as such under these rules, if such persons opt for such posts within thirty days of commencement of these rules. The regular service rendered by them in the post of Court Master before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of probation period, confirmation and promotion to next higher grade.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications.- No person –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, persons with disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Court Master	* 01 One (2015) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service; Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	PB-I; Rs. 5200-20200 plus grade pay 2400/-	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two Years	By promotion failing which by deputation or absorption.	Promotion: From amongst Lower Division Clerks of Debts Recovery Appellate Tribunal with eight years regular service. Deputation or Absorption: (v) persons holding analogous posts in Central Government or State Government or in High Courts or Tribunals; (vi) Lower Division Clerks with eight years regular service in the scale of Rs. 5200-20200/- plus grade pay 1900/- or equivalent. (iii) persons having knowledge of stenography will be preferred. Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt applications.	Registrar/Secretary - Chairman, Registrar (DRT) - Member, and Section Officer - Member,	Not Applicable

[F. No. 5/3/2015-DRT]

V. V. S. KHARAYAT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 961(अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई में कोर्ट मास्टर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन.— ऐसे व्यक्ति जो ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई में नियमित आधार पर कोर्ट मास्टर का पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के प्रारंभ पर यदि ऐसे व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे पद का चयन करते हैं, इन नियमों के अधीन उसी रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा। इन नियमों के प्रारंभ से पहले कोर्ट मास्टर के पद में उनके द्वारा की गई नियमित सेवा को परिवीक्षा की अवधि, पुष्टि और अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं.— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हो और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, निशक्तजनों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोर्ट मास्टर	*01 एक (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा; समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय।	पीबी - 1; 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक बर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा की जाने वाली भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।	प्रोन्नति: ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति या आमेलन: (i) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों या अधिकरणों में सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ii) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आशुलिपि का ज्ञान है अधिमान दिया जाएगा। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	रजिस्ट्रार/सचिव - अध्यक्ष, रजिस्ट्रार (डीआरटी) - सदस्य और अनुभाग अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 5/3/2015/डीआरटी]

बी. वी. एस. खड्गायत, अवर सचिव

NOTIFICATIONNew Delhi, the 11th December, 2015

G.S.R. 961(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Court Master in Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai (Court Master) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.- The persons holding the post of Court Master in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, on regular basis shall be on the commencement of these rules, deemed to have been appointed as such under these rules, if such persons opt for such posts within thirty days of commencement of these rules. The regular service rendered by them in the post of Court Master before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of probation period, confirmation and promotion to next higher grade.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications.- No person –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, persons with disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Court Master	* 01 One (2015) * Subject to Variation dependent on work load.	General Central Service; Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	PB-1; Rs. 5200-20200 plus grade pay 2400/-	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two Years	By promotion failing which by deputation or absorption.	Promotion: From amongst Lower Division Clerks of Debts Recovery Appellate Tribunal with eight years regular service. Deputation or Absorption: (i) persons holding analogous posts in Central Government or State Government or in High Courts or Tribunals; (ii) Lower Division Clerks with eight years regular service in the scale of Rs. 5200-20200/- plus grade pay 1900/-or equivalent. (iii) persons having knowledge of stenography will be preferred. Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt applications.	Registrar/ Secretary - Chairman, Registrar (DRT) - Member, and Section Officer - Member,	Not Applicable

[F. No. 5/3/2015-DRT]

V. V. S. KHARAYAT, Under Secy.